सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 30/2021

दायर दिनांक – 22.07.2021

निर्णय दिनांक – 20.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2021/56

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. श्री अपूर्व भौमिक पुत्र श्री आलोक भौमिक जाति ब्राह्मण निवासी 184/29 गुलाब बाड़ी माली मौहल्ला तहसील अजमेर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

उपस्थिति–1. श्री सरफुद्दीन, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 465 के खसरा नंबर 1401 रकबा 0.54 है0 नामा0 सं0 876 दिनांक 21.07.2009 के अनुसार समस्त वर्तमान खातेदारों के स्थान पर अपूर्व भौमिक पुत्र आलोक भौमिक जाति ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि उक्त कृषि आराजी विक्रेता ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल जाति माहेश्वरी निवासी छोटी बस्ती

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...र के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज अनुसार मुझ प्रार्थी अपूर्व भौमिक पुत्र श्री आलोक भौमिक जाति ब्राह्मण निवासी 184/29 गुलाब बाडी माली मोहल्ला अजमेर को दिनांक 14.10.2008 को पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद की थी। जिसका वर्किंग जमाबंदी सन् 2041 में नामांतरण सं0 876 दिनांक 21.07.2009 को नामान्तकरण होकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ। परंतु भू-प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट के पश्चात् जो राजस्व रिकॉर्ड बनाया गया उसमें वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या नया 465 में प्रार्थी की उक्त खरीद शुदा कृषि आराजी का राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हुआ।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना-पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2077 दिनांक 06.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि " ग्राम तिलोरा के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 303 खसरा संख्या 1073 रकबा 03-07-00 बीघा में लादू किशना लाड़ा छोटू व मेन्दू पि. लाला व रूपा वल्द नन्दा व उगमा वल्द घीसा व भूरा वल्द नोला कौम रावत सा. देह हि. ब. 1/2 भेरू वल्द हरजी कौम गुर्जर सा. देवनगर हि.ब. 1/2 भैरू वल्द हरजी कौम गुर्जर सा. देवनगर हि. 1/2 दर्ज था। सीडब्ल्यूएनसीटी (0) 997 आदेश दिनांक 26.02.1976 श्री तहसीलदार साहब के ख.नं. साबिक 1073 दुर्गाप्रसाद पुत्र चन्दर माली हि. 1/2 व भैरू वल्द हरजी हि. 1/2 गुर्जर सा. देवनगर के नाम दर्ज हुआ। नामा0 सं0 66 दिनांक 06.01.1989 आदेश नायब तहसीलदार सा. के बेचान का दुर्गाप्रसाद के स्थान पर भंवरलाल, नाथूलाल, मदनलाल, गोपाल पि. शंभू कौम माली सा. बांसेली हि. 1/2 व भैरू वल्द हरजी हि. 1/2 सा. देवनगर दर्ज हुआ। नामा0 सं0 629 दिनांक 03.12.2006 के अनुसार विरासत से भैरू वल्द हरजी के स्थान पर फूली पत्नी भैरू व मांगीलाल, रंगलाल, गोरधन, मेवा, सेवा, पि. भैरू हि. 1/2 का नाम दर्ज हुआ।

नामा0 सं0 679 दिनांक 26.03.2007 बेचान से वर्किंग खसरा नम्बर 1073 रकबा 03-07-00 बीघा पर भंवरलाल, नाथूलाल, मदनलाल, गोपाल पि. शंभू हि. 1/2 सा. बांसेली व फूली पत्नी भैरू मांगीलाल, रंगलाल, गोरधन, मेवा, सेवा पि. भैरू हि. 1/2 के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल कौम माहेश्वरी सा. छोटी बस्ती पुष्कर के नाम दर्ज हुआ। नामा0 सं0 876 दिनांक 21.07.2009 से जरिये विक्रय पत्र से वर्किंग खसरा नम्बर 1073 रकबा 03-07-00 बीघा पर ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल के स्थान पर अपूर्व भौमिक पुत्र आलौक भौमिक जाति ब्राह्मण सा. 184/29 गुलाब बाडी माली मोहल्ला अजमेर के नाम दर्ज हुआ। साबिक खसरा नम्बर 1073 रकबा 03-07-00 बीघा हाल खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.54 हैक्टेयर भू-संशोधन पश्चात् आधार जमाबंदी संवत् (2065-84) में खाता सं. 418 में लादू, किशना, लाडा, छोटू व मिठू पि. लाला व रूपा वल्द नन्दा, उगमा वल्द घीसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

वल्द नोला कौम रावत हि. 1/2 भैरू वल्द हरजी कौम गुजर्र सा. देवनगर हि. 1/2 का अंकन पुनः दर्ज हो गया। तथा नामा0 सं0 629 दिनांक 03.12.06 विरासत से मृतक भैरू पि. हरजी के बजाय फूली पत्नी भैरू मांगीलाल, रंगलाल, गोरधन, मेवा, सेवा पि. भैरू हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज हुई। राजस्व रिकॉर्ड ग्राम तिलोरा के जमाबंदी संवत् (2068–71) के खाता संख्या 417 खसरा संख्या 1401 रकबा 0.54 हैक्टेयर में लादू, किशनाना, लाडा, छोटू, मिठू पि. लाला व रूपा वल्द नंदा, उगमा वल्द घीसा, भूरा वल्द नोला कौम रावत सा. देह हि. ब. 1/2 हि. फूली पत्नी भैरू, मांगीलाल, रंगलाल, गोरधन, मेवा, सेवा पि. भैरू पांची रामी पुत्रियां भैरू कौम गुर्जर सा. देवनगर 1/2 के नाम दर्ज है।

ग्राम तिलोरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी संवत् (2072–75) के खाता सं. 465 खसरा संख्या 1401 रकबा 0.54 हैक्टेयर में उगमा पुत्र घीसा हि. 1/8, किशना पुत्र लाला हि. 1/40, गोरधन पुत्र भैरू हि. 1/16, छोटू पुत्र लाला हि. 1/40, पांची पुत्री भैरू हि. 1/16, फूली पत्नी भैरू हि. 1/16, भूरा पुत्र नोला हि. 1/8, मेवा पुत्र भैरू ह. 1/16, मांगीलाल पुत्र भैरू हि. 1/16, मिठू पुत्र लाला हि. 1/40, रंगलाल पुत्र भैरू हि. 1/16, रूपा पुत्र नन्दा हि. 1/8, रामी पुत्री भैरू हि. 1/16, लाडा पुत्र लाला हि. 1/40, लादू पुत्र लाला हि. 1/40, सेवा पुत्र भैरू हि. 1/16 के नाम खातेदारी दर्ज है। **अतः समस्त खातेदारों के स्थान पर अपूर्व भौमिक पुत्र आलौक भौमिक जाति ब्राह्म्ण साकिन 184/29 गुलाबबाडी माली मौहल्ला अजमेर के नाम दर्ज करना उचित होगा।**

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 465 के खसरा नंबर 1401 रकबा 0.54 है0 में नामा0 सं0 876 दिनांक 21.07.2009 के अनुसार समस्त वर्तमान खातेदारों के स्थान पर अपूर्व भौमिक पुत्र आलोक भौमिक जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी संवत् (2072–75) के खाता सं. 465 खसरा संख्या 1401 रकबा 0.54 हैक्टेयर में उगमा पुत्र घीसा हि. 1/8, किशना पुत्र लाला हि. 1/40, गोरधन पुत्र भैरू हि. 1/16, छोटू पुत्र लाला हि. 1/40, पांची पुत्री भैरू हि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

16, फूली पत्नी भैरू हि. 1/16, भूरा पुत्र नोला हि. 1/8, मेवा पुत्र भैरू हि. 1/16, मांगीलाल पुत्र भैरू हि. 1/16, मिठू पुत्र लाला हि. 1/40, रंगलाल पुत्र भैरू हि. 1/16, रूपा पुत्र नन्दा हि. 1/8, रामी पुत्री भैरू हि. 1/16, लाडा पुत्र लाला हि. 1/40, लादू पुत्र लाला हि. 1/40, सेवा पुत्र भैरू हि. 1/16 के नाम खातेदारी दर्ज है, **के स्थान पर अपूर्व भौमिक पुत्र आलोक भौमिक जाति ब्राह्मण साकिन 184/29 गुलाबबाडी माली मोहल्ला अजमेर के नाम दर्ज** किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

20.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested